

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2019 का आपराधिक अपील (खं पी.) संख्या 367

के साथ

(2019 का आपराधिक अपील (खं पी.) सं. 264; 2019 का आपराधिक अपील (खं पी.) सं.

313; 2019 का आपराधिक अपील (खं पी.) सं.392)

19 सितंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह एवं

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

1. क्या अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल को सभी उचित संदेहों से परे स्थापित कर दिया है?
2. क्या अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल को सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है?
3. क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में स्वतंत्र गवाहों की गैर-परीक्षा ने अपीलकर्ताओं के मुकदमे को प्रभावित किया है?
4. क्या विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा जी.आर. केस संख्या 1687/2012, ट्रायल संख्या 368/2017 में पारित निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302/34, 307/34—शस्त्र अधिनियम, 1959—धारा 27—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धारा 3(1)(X)—हत्या—सूचक अपने बटाईदारी खेत में धान की कटाई कर रहा था—सूचनाकर्ता ने अपने फर्दबयान में कहा कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने मृतक को नजदीक से गोली मारी—अभियुक्त/अपीलकर्ता ने मृतक के सीने में गोली मार दी, जिससे वह आलू के खेत में गिर पड़ा—इसके बाद सभी अभियुक्तगण अपने हथियार लहराते हुए घटनास्थल से भाग गए।

निर्णय: गवाहों की गवाही हमेशा एक जैसी रही है—घटनास्थल के बारे में कोई संदेह नहीं है—सभी आरोपियों का मृतक और उसके चचेरे भाई की हत्या करने का एक ही उद्देश्य था—मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृतक के सीने, पेट और दाहिने हाथ पर बंदूक से कई चोटों का उल्लेख है—इसके अलावा, डॉक्टर ने मृतक के शरीर से दस छर्रे बरामद किए थे—चोट की रिपोर्ट दर्शाती है कि उसके सीने पर बंदूक से कई चोटें आई थीं—अभियोजन पक्ष ने घटनाओं के क्रम को प्रभावी और विश्वसनीय ढंग से स्थापित किया है—घटना के समय, स्थान या तरीके के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असमानता या विरोधाभास नहीं है—किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ न करने से अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता या मजबूती पर कोई संदेह नहीं होता—अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है—अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि बरी किए गए आरोपियों का मृतक की मौत का कारण बनने और मौत का प्रयास करने में एक ही 'उद्देश्य' था—बरी करने के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया—अपील खारिज की जाती है।

(पैराग्राफ 10 से 13, 21, 22)

न्याय दृष्टान्त

बलवान बनाम हरियाणा राज्य, (2014) 13 एससीसी 560; अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य, 1988 अनुपूरक एससीसी 241; मेहराज सिंह (एल/एनके) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1994) 5 एससीसी 188; अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य, (1989) 3 एससीसी 5—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; शस्त्र अधिनियम, 1959; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या, सामान्य वस्तु, चोट रिपोर्ट, शवपरीक्षण प्रतिवेदन।

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 24.01.2019 को जी.आर. वाद संख्या 1687/2012, तदनुरूपी परीक्षण संख्या 368/2017 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा पारित निर्णय से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता; श्री अक्षय आशीष, अधिवक्ता; (धारा 367, 264 में); श्री रवि प्रकाश (धारा 313 में); श्री सरोज कुमार, अधिवक्ता (धारा 392 में)

उत्तरदाताओं की ओर से: श्री अभिमन्यु शर्मा, स.लो.अ. (धारा 367 में); श्री बिपिन कुमार, एपीपी (धारा 367 में); श्री बिनय कृष्ण, विशेष लो.अ. (सभी में);

सूचक की ओर से: श्री रवि प्रकाश, अधिवक्ता (सभी में)।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.367**

थाना कांड सं-127 वर्ष-2012 थाना-लौकाही जिला-मधुबनी से उन्नत

=====

राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव, पिता- बडेलाल यादव निवासी गाँव-चिचोडवा थाना लौकाही,
जिला-मधुबनी ।

... .. अपीलकर्ता

बनाम

बिहार सरकार

..... उत्तरदाता

=====

के साथ

2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 264

थाना कांड सं.-127 वर्ष-2012 थाना-लौकाही जिला-मधुबनी से उन्नत

=====

बडेलाल यादव, पिता स्वर्गीय अच्छेलाल यादव, निवासी गांव-चिचोडवा, थाना-लौकाही, जिला-
मधुबनी।

... .. अपीलकर्ता

बनाम

बिहार सरकार

..... उत्तरदाता

=====

के साथ

2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 313

थाना कांड सं.-127 वर्ष-2012 थाना-लौकाही जिला-मधुबनी से उन्नत

=====

बिशुन देव पासवान उर्फ विष्णु पासवान, पिता- गुंजन पासवान, निवासी गांव-चिचोडवा, थाना-
लौकाही, जिला-मधुबनी।

... .. अपीलकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. रोहित यादव पिता-धनिकलाल यादव
3. निर्मल यादव पिता- धनिकलाल यादव
4. राम बिलास यादव पिता- रामेश्वर यादव
5. रामदेव यादव पिता- लुचाई यादव
6. देवेंद्र यादव उर्फ भाईजी यादव पिता- रामफुल यादव
7. धनिकलाल यादव पिता- स्वर्गीय अच्छेलाल यादव
8. बीरबल यादव पिता- रामफुल यादव।
9. चंद्रदेव यादव पिता- स्वर्गीय जीतन यादव
10. राज नारायण यादव पिता- स्वर्गीय धनबीर यादव, सभी निवासी गाँव-कचनरवा, थाना-लौकाही, जिला-मधुबनी

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 392

थाना कांड सं.-127 वर्ष-2012 थाना-लौकाही जिला-मधुबनी से उन्नत

=====

बुधन यादव पिता स्वर्गीय अशरफी यादव निवासी गाँव-कचनरवा, थाना-लौकाही, जिला-मधुबनी ।

... .. अपीलकर्ता

बनाम

बिहार सरकार

.... .. उत्तरदाता

=====

उपस्थिति:

(2019 के आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं 367 में)

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
	:	श्री लक्ष्मी कांत शर्मा, अधिवक्ता
	:	श्री अक्षय आशीष, अधिवक्ता

सूचक के अधिवक्ता : श्री रवि प्रकाश, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता : श्री अभिमन्यु शर्मा, स. लो. अ.
: श्री बिपिन कुमार, स. लो. अ.
: श्री बिनय कृष्ण, वि. लो. अ.

(2019 के आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं. 264 में)

अपीलकर्ता के लिए : श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
: श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता
: श्री अक्षय आशीष, अधिवक्ता

सूचक के अधिवक्ता : श्री रवि प्रकाश, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता : श्री बिनय कृष्ण, वि. लो. अ.

(2019 के आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं. 313 में)

अपीलकर्ता के लिए : श्री रवि प्रकाश, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : श्री बिनय कृष्ण, वि. लो. अ.

(2019 के आपराधिक आवेदन (खं.पी.) संख्या 392 में)

अपीलकर्ता के लिए : श्री सरोज कुमार, अधिवक्ता
सूचक के अधिवक्ता : श्री रवि प्रकाश, अधिवक्ता:
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : श्री बिनय कृष्ण, वि. लो. अ.

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह

सी. ए. वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह)

तारीख : 19-09-2023

ये आपराधिक अपीलें विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा जी. आर. मामले सं.1687/2012 में पारित दिनांकित 24.01.2019 के सामान्य निर्णय से उन्नत होती हैं, इसलिए, एक साथ सुनवाई की गई और तदनुसार, इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.367, 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.264 और 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.392 में उपर्युक्त संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 24.01.2019 के आदेश द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 29.01.2019 के सजा के आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, और आपराधिक अपील(खं.पी.) संख्या 313/2019 सूचक, अर्थात्, बिशुन देव पासवान उर्फ विष्णु पासवान द्वारा दिनांक 24.01.2019 के उसी आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायलय द्वारा 10 नामित अभियुक्तों के संबंध में दर्ज दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है।

3. वाद का सूचक जो 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.313 में अपीलकर्ता हैं, ने भी 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.264 (दोषसिद्धि के खिलाफ अपील) में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज की है और सभी अपीलों की अनुरूप सुनवाई को देखते हुए, सूचक को कोई नया नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

4. 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.313 (दोषमुक्ति के खिलाफ अपील), जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, का भी इस सामान्य आदेश द्वारा स्वीकार किए जाने के चरण में ही निपटारा किया जा रहा है।

2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.367

और

2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.264

और

2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.392

ऊपर उल्लिखित सभी तीन अपील विचारण न्यायलय द्वारा दोषी ठहराए गए संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा 2012 के जी. आर. वाद सं 1687 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-

विशेष न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 24.01.2019 एवं सजा के आदेश दिनांकित 29.01.2019 थाना-लौकाही, वाद संख्या 127/2012 से उन्नत विचारण वाद सं. 368/2017, जिसके तहत अपीलकर्ता आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 367/2019 के राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव को भारतीय दंड संहिता('भा.द वि.' के रूप में संदर्भित), की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे कुल 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में छह महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत भी दोषी ठहराया गया है और उन्हें 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, छह महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे अनु. जाति/अनु. जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1)(X) के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे कुल 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ एक साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। अपीलकर्ता की सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने का निर्देश दिया गया है। 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) 264 के अपीलकर्ता बडेलाल यादव को भा.द.वि. की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में छह महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। उसेब की धारा 3 (1) (X) के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे कुल 10,000/-रुपये के जुर्माने के साथ एक साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। अपीलकर्ता की सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने का निर्देश

दिया गया है। 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं.392 के अपीलकर्ता बुधन यादव को भा. द. वि. की धारा 307/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे 10,000/-रुपये के जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में छह महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे अनु. जाति/अनु. जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (X) के तहत भी दोषी ठहराया गया है और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में छह महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। अपीलकर्ता की सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने का निर्देश दिया गया है।

5. अभियोजन पक्ष का मामले में, लौकही थाने के उपनिरीक्षक द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपातकालीन वाई, लौकही में 14.12.2012 को दोपहर 1:00 बजे दर्ज सूचक बिशुनदेव पासवान (अ.सा.8) के फरदबेयान के अनुसार दिनांक 14.12.2012 को 9-10 बजे सूचक अपने बटाईदारी खेत में धान की कटाई कर रहा था और उसके भतीजे शिवेंद्र पासवान और दिलीप पासवान बोरिंग के पास आराम कर रहे थे। अचानक उत्तर-पूर्व से लगभग 15-20 लोग गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होकर विभिन्न हथियारों देसी कट्टा, भाला, तीर-धनुष और लाठी फरसा के साथ से लैस होकर आए धर्म लाल पासवान जो गेहूं की बुआई कर रहे थे, को घेरना शुरू किया, उन्हें देखकर वह अपने भतीजे दिलीप की ओर भाग गए, फिर गैरकानूनी सभा के नेता बडेलाल यादव ने राजा को आदेश दिया और कहा कि " देखते क्या हो साले कमला का बेटा है जो काफी नेतागिरी करता है उसको गोली मार दो। " इसके बाद, राज कुमार यादव उर्फ राजा यादव ने सूचक के भतीजे की छाती पर पास से देसी बंदूक से गोली चलाई, जिससे उसकी छाती पर गंभीर चोट लगी और वह ईश्वर पासवान के मैदान में 50 फीट पश्चिम में गिर गया। इस बीच, बुधन यादव और निर्मल यादव ने भी अपने देसी कट्टों से गोलीबारी किया। बुधन यादव द्वारा की

गई गोलीबारी में सूचक के चचेरे भाई भतीजे दिलीप पासवान को पसलियों के पिंजरे (पंजरा) के बाईं ओर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। गैरकानूनी सभा के अन्य सदस्य रोहित यादव, रामदेव यादव, चंद्रदेव यादव, भाईजी यादव उर्फ देवेंद्र यादव, रामबिलास यादव, बीरबल यादव, धनिक लाल यादव, राज नारायण यादव, सभी ने अपने-अपने हथियारों से गोलीबारी की और भाग गए। सूचक और अन्य लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, इस बीच गाँव की ओर से श्री नारायण पासवान, सुरेंद्र पासवान, योगेंद्र पासवान, अमी पासवान, मदन पासवान और अन्य ग्रामीण वहाँ आए और शोर मचाया, फिर सभी आरोपी लोग गोली चलाकर भाग गए, जिसकी पहचान उपरोक्त व्यक्तियों ने की। उनके भतीजे को उनके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लौकाही लाया गया, जहाँ उनके भतीजे शिवेंद्र पासवान को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दिलीप पासवान का इलाज चल रहा था। कथित घटना के पीछे का उद्देश्य यह था कि विवादित बटाईदारी भूमि राज कुमार यादव उर्फ राजा यादव द्वारा खरीदी गई थी और उसे जुताई नहीं करने के लिए रोक रहा था, जबकि उक्त भूमि पहले धरम नारायण पासवान और श्री नारायण पासवान के कब्जे में थी। सूचक ने दावा किया कि अभियुक्त व्यक्तियों एवं उनके साथ नामित सहयोगियों ने गैरकानूनी रूप से सभा कर, राज कुमार यादव ने उसके भतीजे शिवेंद्र पासवान की हत्या कर दी और दिलीप पासवान को घायल कर दिया, जिसका इलाज चल रहा था।

6. सूचक के उपरोक्त फरदबेयान के आधार पर, औपचारिक प्राथमिकी तैयार किया गया और भा.द.वि. की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 326, 307, 302, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और अनु. जाति/अनु. जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (X) के तहत 2012 का लौकाही थाना कांड सं.127 दिनांकित 14.12.2012 दर्ज किया गया था। पुलिस ने जाँच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया और उसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया

और फिर वाद सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जिस पर अपीलकर्ताओं ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

7. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल पंद्रह गवाहों से पूछताछ की, जिनमें सुरेंद्र पासवान (अ.सा.1), योगेंद्र पासवान (अ.सा.2), मदन पासवान (अ.सा.3), श्याम देवी पासवान (अ.सा.4), धर्म लाल पासवान (अ.सा.5), भामी पासवान (अ.सा.6), दिलीप पासवान (अ.सा.7), बिशुन देव पासवान-सूचक (अ.सा.8), रवींद्र कुमार सिंह (अ.सा.9), डॉ. अवेन्द्र कुमार झा (अ.सा.10), डॉ. विनोद कुमार (अ.सा.11), राज किशोर बैठा (अ.सा.12) शामिल थे।), कमल नारायण पासवान (अ.सा.13), चंद्रवीर सिंह (अ.सा.14) और डॉ. एस. काजमी (अ.सा.15) शामिल थे। अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने इस प्रकार प्रदर्श भी प्रस्तुत किए हैं ,प्रदर्श 1 (धारा 164 द. प्र. स. के तहत बयान पर हस्ताक्षर), प्रदर्श 1/1 (धारा 164 द. प्र. स. के तहत बयान पर हस्ताक्षर), प्रदर्श 1/3 (धारा 164 द. प्र. स. के तहत बयान पर हस्ताक्षर), प्रदर्श 2 (मृतक की पूछताछ रिपोर्ट), प्रदर्श 3 (प्राथमिकी में लेखन और हस्ताक्षर), प्रदर्श 4 (आरोप पत्र सं.17/13 दिनांक 11.08.13), प्रदर्श 4/ए(आरोप पत्र सं.62/13 दिनांक 11.08.13), प्रदर्श 4/बी (आरोप पत्र सं. 11/14 दिनांक 28.02.14) प्रदर्श 5 (डॉ. अरविंद कुमार झा द्वारा दी गई दिलीप पासवान की चोट की रिपोर्ट), प्रदर्श 5/ए (डॉ. बिनोद कुमार द्वारा शिवेंद्र पासवान की शवपरीक्षा रिपोर्ट), प्रदर्श 6 (राज किशोर बैठा द्वारा मृत शरीर की चालान पर्ची का लेखन और हस्ताक्षर), प्रदर्श 7 (दिलीप पासवान की चोट की रिपोर्ट दिनांक 14.12.12 को प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दिया गया था), प्रदर्श 8 (जब्ती सूची), प्रदर्श 9 (गिरफ्तारी ज्ञापन आरोपी निर्मल यादव), प्रदर्श 9 ए. (गिरफ्तारी ज्ञापन आरोपी धनीक लाल), प्रदर्श 9 बी (गिरफ्तारी ज्ञापन आरोपी रामदेव यादव), प्रदर्श 9 सी (गिरफ्तारी ज्ञापन आरोपी देवेंद्र यादव उर्फ भाईजी यादव), प्रदर्श 10

(श्री चंद्रवीर सिंह, जे. एम. प्रथम श्रेणी, झांझरपुर और स्वयं के हस्ताक्षर), प्रदर्श 11 (धारा 164 द. प्र. स. के तहत बयान और श्री चंद्रवीर सिंह, न्या. दंडा. प्रथम श्रेणी, झांझरपुर द्वारा दिलीप पासवान को दिए गए हस्ताक्षर), प्रदर्श 11/1 (धारा 164 द. प्र. स. के तहत बयान और श्री चंद्रवीर सिंह, न्या. दंडा. प्रथम श्रेणी, झांझरपुर द्वारा श्री नारायण पासवान को पहचाने गए हस्ताक्षर), प्रदर्श 11/2 (धारा 164 के द. प्र. स. तहत बयान और श्री चंद्रवीर सिंह, न्या. दंडा. प्रथम श्रेणी, झांझरपुर द्वारा सुरेंद्र पासवान को चिह्नित हस्ताक्षर), प्रदर्श 11/3 (धारा 164 द. प्र. स. के तहत वक्तव्य और श्री चंद्रवीर सिंह, न्या. दंडा. प्रथम श्रेणी, झांझरपुर द्वारा योगेंद्र पासवान को चिह्नित हस्ताक्षर), प्रदर्श 11/4 (धारा 164 द. प्र. स. के तहत वक्तव्य और श्री चंद्रवीर सिंह, न्या. दंडा. प्रथम श्रेणी, झांझरपुर द्वारा भामी पासवान को चिह्नित हस्ताक्षर), प्रदर्श 11/5 (धारा 164 द. प्र. स. के तहत वक्तव्य और हस्ताक्षर श्री चंद्रवीर सिंह, न्या. दंडा. प्रथम श्रेणी, झांझरपुर से मदन पासवान द्वारा पहचाने गए), प्रदर्श 11/6 (धारा 164 द. प्र. स. के तहत बयान और श्री चंद्रवीर सिंह, न्या. दंडा. प्रथम श्रेणी, झांझरपुर द्वारा कमल नारायण पासवान को दिए गए हस्ताक्षर), प्रदर्श 11/7 (धारा 164 द. प्र. स. के तहत बयान और श्री चंद्रवीर सिंह, न्या. दंडा. प्रथम श्रेणी, झांझरपुर द्वारा बिशुदेव पासवान को दिए गए हस्ताक्षर), प्रदर्श 12 (डी.एम.सी.एच. लहैरियासराई द्वारा जारी की गई दिलीप पासवान की चोट की रिपोर्ट और लेखन और हस्ताक्षर की पहचान), प्रदर्श 13 (एस. टी. सं.20/93 की प्रमाणित प्रति), प्रदर्श 14 (एस. टी. सं.20/93 में आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति), प्रदर्श 15 (एस. टी. सं.20/93 में आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति) और प्रदर्श 16 (एस. टी. सं.20/93 में शवपरीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति)। बचाव पक्ष ने पांच गवाहों बलराम मंडल (प्र.स.1), किरानी यादव (प्र.स.2), सूर्य नारायण यादव (प्र.स.3), शत्रुघ्न प्रसाद साह (प्र.स.4) और मनोज कुमार (प्र.स.5) से भी पूछताछ की। अपने वाद के समर्थन में, बचाव पक्ष ने प्रदर्शन भी प्रस्तुत किए हैं। प्रदर्श ए (गवाह शत्रुघ्न प्रसाद साह की

जाँच में राम प्रसाद चौधरी द्वारा दायर आवेदन की पहचान), प्रदर्श बी (घायल राम प्रसाद चौधरी के आवेदन पर पंच के निर्णय द्वारा की गई पहचान), प्रदर्श सी (इलाखा प्रहरी कार्यालय कठौना द्वारा राज कुमार यादव के रिहाई आदेश की पहचान), प्रदर्श डी (शत्रुघ्न प्रसाद साह के हस्ताक्षर के तहत इलाखा प्रहरी कार्यालय कठौना द्वारा जारी रिहाई आदेश का अनुवाद), प्रदर्श इ (घायल राम प्रसाद चौधरी द्वारा नेपाली भाषा में किए गए आवेदन का हिंदी अनुवाद), प्रदर्श ए (हिंदी में) राम प्रसाद चौधरी द्वारा शत्रुघ्न प्रसाद साह के लिखित आवेदन पर पंच के निर्णय का अनुवाद), प्रदर्श जी (रिलीज ऑर्डर की टाइप की गई प्रति), प्रदर्श एच (टाइप की गई प्रतिलिपि आवेदन) और प्रदर्श । (टाइप की गई प्रतिलिपि पंच निर्णय)। विचारण अदालत ने आठ अदालती गवाहों से भी पूछताछ की, जिनके नाम हैं दिलीप पासवान (न्या. सा.1), श्री नारायण पासवान (न्या. सा.2), सुरेंद्र पासवान (न्या. सा.3), योगेंद्र पासवान (न्या. सा.4), भामी पासवान (न्या. सा.5), मदन पासवान (न्या. सा.6), कमल नारायण पासवान (न्या. सा.7) और बिशुन देव पासवान (न्या. सा.8)। मुकदमे के समापन के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को ऊपर बताए गए तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

8. आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 264/2019, 367/2019 और 392/2019 में अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता के साथ आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 313/2019 में प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश कई त्रुटियों से ग्रस्त था जिनकी विचारण न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई थी, जिससे विवादित निर्णय कानून की नजर में अस्थिर हो गया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चश्मदीद गवाहों की गवाही और चिकित्सा साक्ष्य के बीच भौतिक विसंगतियां हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी (अ.सा.12) ने स्वयं अपने बयान के पैरा 30 और 31 में कहा कि उन्होंने बोरवेल के साथ-साथ उस स्थान का भी निरीक्षण नहीं किया जहां मृतक और अ.सा.

7 कथित रूप से शौच कर रहे थे। इसके अलावा, अ.सा.12 ने क्षेत्र के खाता-खेसरा को बताते हुए घटना स्थल का मानचित्र तैयार नहीं किया। इसलिए, इन तथ्यों के आधार पर, उन्होंने तर्क दिया कि घटना का स्थान संदिग्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का तरीका भी संदिग्ध है, क्योंकि वे घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रस्तुत किया कि घटना स्थल पर ऐसे कई गवाहों की उपस्थिति के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ करने से परहेज किया। नतीजतन, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कानून और तथ्यों दोनों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण थे, ठोस कानूनी तर्क, योग्यता से रहित, और परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त कर दिया जाना चाहिए।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान स. लो. अ. और सूचक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इन तीनों अपीलों में चुनौती के तहत दोषसिद्धि और सजा के आदेश के सामान्य निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम रहा है। यह देखा गया है कि गवाहों की गवाही पूरे समय सुसंगत रही है, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत होता है, और गवाहों की गवाही में मामूली विसंगतियां उनके साक्ष्य की संपूर्णता को कमजोर नहीं करती हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना स्थल के बारे में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी ने वहां से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। इसके अलावा, सूचक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य के माध्यम से स्थापित किया है कि सभी आरोपी व्यक्तियों का मृतक और उसके चचेरे भाई (अ.स.7) की हत्या का सामान्य उद्देश्य था। केवल इसलिए कि किसी प्रत्यक्ष कृत्य का श्रेय किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाता है जिस पर किसी गैरकानूनी समूह का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, यह दावा नहीं किया जा सकता कि यदि उनका उद्देश्य समान

था तो वे उस समूह का हिस्सा नहीं थे। इस प्रकार, अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं का अपराध विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से संतोषजनक रूप से साबित हुआ है। और इसलिए, आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 264/2019, 367/2019, और 392/2019 को खारिज कर दिया जाना चाहिए, और आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 313/2019 को विद्वत परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करके अनुमति दी जानी चाहिए।

10. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर उपलब्ध पूरी सामग्री की पूरी तरह से जांच करने पर, निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

(1) क्या अभियोजन पक्ष ने घटना के स्थान को सभी उचित संदेहों से परे

स्थापित किया है?

(2) क्या अभियोजन पक्ष ने घटना के तरीके को सभी उचित संदेहों से परे साबित किया है?

(3) क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ न करने से

अपीलकर्ताओं के मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?

11. ऊपर तैयार किए गए पहले अंक के संदर्भ में, अभिलेख पर सामग्री की पूरी तरह से जांच करने के बाद, यह पाया गया है कि पूरी घटना धम लाल पासवान (अ.सा.5) के खेत और श्री नारायण के खेत में स्थित एक बोरवेल के बीच हुई थी। अ.सा.1, अ.सा. 2, अ.सा.3, अ.सा.4, अ.सा. 5, अ.सा. 6 और अ.सा.8 (सूचक) सहित चश्मदीद गवाह, जो घटना के समय आसपास के खेतों में अपने काम में सक्रिय रूप से लगे हुए थे, साथ ही अ.सा.7, एक घायल गवाह, के पास लगातार घटना के उपरोक्त स्थान के बारे में उनके बयानों में कहा गया है। इन चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी है कि जब मृतक को शुरू में सीने में गोली लगी थी, तो वह

किशोर पासवान उर्फ ईश्वर पासवान के खेत में गिर गया था। इसके अतिरिक्त, जांच अधिकारी (अ.सा. 12) ने इस तरह की गवाही की पुष्टि करते हुए मुकदमे के दौरान स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि घटना स्थल पर उन्हें श्री नारायण के धान के खेत में गोलियों के टुकड़े, छर्रों और कार्ट्रिज के हिस्सों के साथ-साथ किशोर के आलू के खेत में खून से लथपथ मिट्टी मिली है और इन्हें जल्दी ज़ापन (प्रदर्श 8) के तहत वहां से जब्त कर लिया गया है।

बलवन बनाम हरियाणा राज्य की रिपोर्ट (2014) 13 एस. सी. सी. 560 में दी गई थी, के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले के पैरा 18 में कहा गया है कि:

“...जांच अधिकारी, अ.सा.18, उप-निरीक्षक बलवन सिंह ने घटना स्थल से रक्तंजित मिट्टी जब्त की है और यह अपराध की स्थिति को दिखाता है। अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि यह घटना बानी सिंह के घर में नहीं हुई थी, आधारहीन है।

इस प्रकार, ऊपर बताए गए इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि घटना के स्थान के संबंध में कोई संदेह नहीं है। तदनुसार, मुद्दा नं 1 में **सकारात्मक** निर्णय लिया गया है।

12. दूसरे मुद्दे के संदर्भ में, इस न्यायालय का ध्यान अ.सा. 1, अ.सा. 2, अ.सा. 3, अ.सा. 4, अ.सा. 5, अ.सा. 6, अ.सा. 7 और अ.सा. 8 की गवाही की ओर आकर्षित किया गया था। अभियोजन पक्ष के इन गवाहों ने एक स्वर में अपने बयानों में कहा है कि 15-20 अभियुक्त व्यक्तियों का एक समूह *लाठी, भाला, धनुष और तीर, बंदूक, देसी पिस्तौल और फरसा* के साथ विभिन्न हथियारों से लैस आए और अ.सा. 5 को घेर लिया। अपनी जान बचाने के प्रयास में, अ.सा. 5 मृतक और अ.सा. 7 की ओर भागा, और जो शौच के बाद लौटने की प्रक्रिया में थे। इसी समय, अभियुक्तों में से एक, बडेलाल यादव ने मृतक पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके बाद एक अन्य अभियुक्त, राजकुमार यादव ने मृतक के सीने में गोली मार दी, जिससे वह किशोर पासवान उर्फ ईश्वर पासवान के आलू के खेत में गिर गया। इसके बाद, आरोपी बुधन

यादव ने अ.सा.7 की छाती पर गोली चलाई, जिससे वह उसी आलू के खेत में गिर गया। इसके बाद, सभी आरोपी अपने हथियार लहराते हुए घटना स्थल से भाग गए। शवपरीक्षा रिपोर्ट की जांच करने पर (प्रदर्श 5/ए) में मृतक के सीने, पेट और दाहिने हाथ पर आग्नेयास्त्र के कई घाव पासे गये हैं। इसके अलावा, डॉक्टर (अ.सा. 11) ने मृतक व्यक्ति के शरीर से दस छरों को बरामद किया था। दूसरी ओर, चोट की रिपोर्ट (प्रदर्श 5) में अ.सा.7 की छाती पर आग्नेयास्त्रों की कई चोटें दिखाई देती हैं। जाहिर तौर पर, डॉक्टरों (अ.सा. 10 11 और 15) द्वारा प्रलेखित चोटें (अ.सा. 10 11 & 15) पर हमले के तरीके, प्रकृति और विस्तार के साथ-साथ हमले में उपयोग किए गए हथियारों का एक सुसंगत विवरण प्रदान करते हुए, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के साथ सटीक रूप से मेल खाते हैं। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि सूचक (अ.सा. 8) ने अपने फ़रदबेयान में कहा कि आरोपी राजकुमार यादव ने मृतक को बहुत करीब से गोली मार दी थी। दूसरी ओर, अ.सा. 11 (डॉक्टर) ने अपने बयान में उल्लेख किया कि उन्होंने चोटों के आकार और आकार का दस्तावेजीकरण नहीं किया, न ही उन्होंने इस बारे में जानकारी शामिल की कि क्या शरीर पर बारूद पाया गया था या चोटों के आसपास कोई टैटू बनाना या गाना। फिर भी, जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करने पर (प्रदर्श 2) और जांच अधिकारी (अ.सा. 12) की गवाही पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट होता है कि मृतक की टी-शर्ट पर जले हुए निशान मौजूद थे। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में, उपरोक्त चश्मदीद गवाहों के नेतृत्व में साक्ष्य, जिनमें से एक घायल गवाह है, सुसंगत है, एक-दूसरे के साथ मेल खाता है और स्पष्ट रूप से आरोपित व्यक्तियों, अर्थात्, बरेलाल यादव, राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव और बुधन यादव को शामिल करता है। इसलिए, हमारे सुविचार में, अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त अपीलकर्ताओं से जुड़ी घटनाओं के क्रम को प्रभावी ढंग से और विश्वासयोग्य रूप से स्थापित किया है।

तदनुसार, मुद्दा नं० ॥ सकारात्मक रूप से तय किया जाता है।

13. अब तीसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने घटना के स्थान पर उनकी उपस्थिति के बावजूद किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ न करने की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अ.सा.1 से अ.सा. 8 तक के प्रत्यक्षदर्शी या तो संबंधित गवाह हैं या इच्छुक गवाह हैं। इन गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की गहन और सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, यह स्पष्ट है कि उनके कथन अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् बडेलाल यादव, राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव और बुधन यादव के अपराध को स्थापित करने की दिशा में एकजुट होते हैं। घटना के समय, स्थान या तरीके के संबंध में कोई महत्वपूर्ण असमानता या विरोधाभास नहीं है। केवल यह तथ्य कि एक गवाह एक करीबी रिश्तेदार है, उनकी गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि उनकी गवाही अन्यथा विश्वसनीय मानी जाए। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि किसी से संबंधित होने का मतलब यह नहीं है कि वे सच्चे अपराधी को छिपा देंगे। इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी निर्दोष व्यक्ति पर गलत आरोप लगाए जाने की संभावना है, विचाराधीन साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करना अनिवार्य हो जाता है। साक्ष्य की आंख मूंदकर अवहेलना करना, भले ही यह एक ऐसे गवाह की ओर से हो जिसका पक्षपात या निहित स्वार्थ हो, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है। इस मोड़ पर, इस हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य, 1988 में एस. सी. सी. 241, में लिए निर्णय को संदर्भित करना प्रासंगिक पाते हैं जिसमें पैरा 11 में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

"....इन सिद्धांतों के आलोक में, अब हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रथम तर्क पर विचार कर सकते हैं। यह तर्क अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ करने में विफलता से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने

इस तर्क की जाँच की है, लेकिन जाँच में कोई कमी नहीं पाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष बस स्टैंड पर हुई घटना का कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर पाया है। ऐसे कई गवाह अवश्य रहे होंगे। लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले को सिर्फ इसी आधार पर खारिज या संदेहास्पद नहीं किया जा सकता। अनुभव हमें याद दिलाता है कि सभ्य लोग आमतौर पर तब असंवेदनशील हो जाते हैं जब कोई अपराध उनकी मौजूदगी में भी हो जाता है। वे पीड़ित और निगरानीकर्ता दोनों से दूरी बना लेते हैं। वे अदालत से खुद को दूर रखते हैं जब तक कि यह अनिवार्य न हो। वे सोचते हैं कि नागरिक विवाद जैसा अपराध दो व्यक्तियों या पक्षों के बीच होता है और उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आम जनता की इस तरह की उदासीनता निःसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह हर जगह मौजूद है चाहे वह गाँवों में हो, कस्बों में हो या शहरों में। इस बाधा को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता जिसके साथ जांच एजेंसी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए, अदालत को स्वतंत्र गवाह के अभाव में अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने के बजाय, अभियोजन पक्ष के बयान के व्यापक पहलुओं पर विचार करना चाहिए और फिर अभियुक्त द्वारा सुझाई गई संभावना, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए सच्चाई के मूल तत्व की खोज करनी चाहिए...”

हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मेहराज सिंह (एल/एन. के.) बनाम उ.प्र. राज्य (1994) 5 एस. सी. सी. 188 के मामले में लिए गए निर्णय पर भी भरोसा करते हैं जिसमें न्यायालय ने कहा है कि "चश्मदीद गवाहों की गवाही को केवल रुचि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए।"

उपरोक्त चर्चा और संदर्भित कानूनी उदाहरणों के आलोक में, यह न्यायालय दृढ़ता से मानता है कि किसी भी स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति के बावजूद अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत और अप्रभावित है। इसलिए, एक स्वतंत्र गवाह की गैर-जांच अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता या ताकत पर कोई संदेह नहीं डालती है।

तदनुसार, विचाराधीन मुद्दे का निर्णय **नकारात्मक** लिया जाता है।

14. ऊपर तैयार किए गए मुद्दों पर प्राप्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं, अर्थात् राजकुमार यादव उर्फ राजा यादव, बरेलाल यादव और बुधन यादव के खिलाफ उचित संदेह से परे आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। इसलिए, 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं.367, 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 264 और 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं.392 को खारिज कर दिया गया है और 2012 के लौकाही थाना कांड सं.127 से उत्पन्न 2017 के जी. आर. वाद सं.1687 में श्री इशरत उल्ला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-विशेष न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और 29.01.2019 के सजा के आदेश की पुष्टि की गई है।

15. 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं.367 में अपीलकर्ता राज कुमार यादव @राजा यादव और 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं.392 में बुधन यादव सजा काटने के लिए हिरासत में हैं, इसलिए, अपीलों को खारिज करने के बाद आगे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं.264 में अपीलकर्ता, बरेलाल यादव की सजा निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए विचारण न्यायालय को उसके जमानत बांड को अपास्त करने और सजा काटने के लिए उसे जेल भेजने का निर्देश दिया जाता है।

2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.313

16. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह अपील अपीलकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति निर्णय दिनांकित 24.01.2019 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके संबंध में 10 (दस) नामित अभियुक्त व्यक्तियों को इस अपील में उत्तरदाता बनाया गया है।

17. इन सभी प्रत्यर्थियों के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 149 के माध्यम से विभिन्न शीर्षों के तहत आरोप तय किए गए थे।

18. हम अपीलकर्ता अर्थात् सूचक और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को पहले ही सुन चुके हैं।

19. 2019 की आई. ए. संख्या 1 की अनुमति है।

20. इस अपील के 2 से 10 तक प्रत्यर्थी के खिलाफ बनाए गए आरोपों को देखते हुए, मुद्दा निम्नलिखित रूप में विचार के लिए उत्पन्न होता है:

क्या अभियुक्त व्यक्ति, जो इसमें उत्तरदाता हैं और जिन्हें विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, ने मृतक की मौत का कारण बनने और अ.सा.7 अर्थात् दिलीप पासवान की मौत का प्रयास करने में एक 'सामान्य उद्देश्य' साझा किया है,?

21. अब, ऊपर बताए गए मुद्दे पर विचार करने के लिए, हमने चश्मदीद गवाहों, अर्थात् अ.सा. 1 से अ.सा. 8 की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच की है। इन गवाही की पूरी तरह से जांच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि इन चश्मदीद गवाहों ने लगातार कहा है कि उन्होंने उन अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की है, जिन्हें विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था, जो लाठी, भाला, धनुष और तीर, गदास और फरसा जैसे घातक हथियारों से लैस सभा में मौजूद थे।

हालाँकि, यह के लिए महत्वपूर्ण है कि इस बात पर जोर दिया जाए कि एक सभा में केवल उपस्थिति किसी व्यक्ति को गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में स्वचालित रूप से वर्गीकृत नहीं करती है। ऐसी सभा में सदस्यता का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह साबित किया जा सकता है कि कोई साझा उद्देश्य था, और क्या व्यक्ति उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित था। इस सामान्य वस्तु को सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होता है, धारा 149 को अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि दोषमुक्ति किए गए अभियुक्त व्यक्तियों का मृतक या अ.सा. 7 पर हमला करने का एक सामान्य उद्देश्य था। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व का पता लगाया जाना चाहिए। सामान्य उद्देश्य और किए गए अपराध के बीच एक संबंध होना चाहिए, और यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अपराध सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। इस मामले के तथ्यों में, अभियुक्त व्यक्तियों ने सभी चरणों में एक समान उद्देश्य साझा नहीं किया। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ-साथ *फरदबेयन* के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्ति, एक गैरकानूनी सभा बनाते हुए, अ.सा. 5 के क्षेत्र में उसे घेरने और उस पर हमला करने के इरादे से आए थे। यह सभा का सामान्य उद्देश्य था। हालाँकि, अ.सा. 5, अपनी जान बचाने के प्रयास में मृतक की ओर भाग गया। यही वह समय था जब आरोपी व्यक्तियों, बडेलाल यादव ने राजकुमार यादव को मृतक पर गोली चलाने का आदेश दिया। घटनाओं का यह क्रम सभा के इरादे और कार्यों में बदलाव को दर्शाता है। अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मृतक और अ.सा. 7 पर उनकी जान लेने के इरादे से गोली मारना आवश्यक नहीं था, क्योंकि वे आरोपी व्यक्तियों के लिए अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में बाधा नहीं थे। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा

सकता है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों का मृतक और अ.सा.7(घायल) की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य था। इस मोड़ पर, अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जिसकी रिपोर्ट (1989) 3 एस. सी. सी. 5 में दी गई थी, जिसमें पैरा 8 में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया था:

“ 8...यह धारा एक विशिष्ट अपराध पैदा करती है और गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को घटना के दौरान किए गए अपराध या अपराधों के लिए उत्तरदायी बनाती है, बशर्ते कि यह सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया था या ऐसा था कि उस सभा के सदस्यों को पता था कि ऐसा किए जाने की संभावना है। चूंकि यह धारा एक रचनात्मक दंडात्मक दायित्व लगाती है, इसलिए इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि यह सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में उनके सहयोगी या सहयोगियों द्वारा किए गए अपराध या अपराधों के लिए एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों को दंडित करने का प्रयास करता है। प्रत्येक मामले में यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था या यह ऐसा अपराध था जिसके होने की संभावना सदस्यों को थी। सामान्य उद्देश्य और किए गए अपराध के बीच एक संबंध होना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि यह सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था, तो सभा का प्रत्येक सदस्य इसके लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए, धारा 141 में उल्लिखित पांच उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक के अभियोजन में गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा किया गया कोई भी अपराध, गैरकानूनी सभा का गठन करने वाले अपने साथियों को भा. द. वि. की धारा 149 की तहत उस अपराध के लिए उत्तरदायी बना देगा। वर्तमान मामले में, गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य, जैसा कि आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है, अ.सा. 6 बहरन मियां की हत्या करना था। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभियुक्त 1 और 2 ने अ.सा. 6 का पीछा किया। खतरा महसूस करते हुए अ.सा. 6 अपना बचाव करने के लिए भाला लाने के लिए बगल के कमरे में घुस गया।

हालाँकि, उनकी पत्नी अ.सा. 5 ने उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। जब आरोपी 1 और 2 को एहसास हुआ कि अ.सा. 6 उनकी पहुंच से बाहर है, तो उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने में अपनी विफलता से निराश होकर, "दालान" में खेल रही निर्दोष लड़कियों पर अपने हथियार चला दिए। सामान्य उद्देश्य की विफलता से निराश होने के बाद, आरोपी 1 और 2 ने निर्दोष लड़कियों पर अपना क्रोध निकाला जो गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य का हिस्सा नहीं था। अ.सा. 6 को मारने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन लड़कियों को मारना आवश्यक नहीं था क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने उन्हें अ.सा.6 तक पहुंचने से नहीं रोका था। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उचित रूप से यह प्रस्तुत किया कि अभियुक्त 1 और 2 को उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दंडित किया जा सकता है जबकि सामान्य उद्देश्य विफल हो गया और अ.सा.6 पर खुद को उनकी पहुंच से बाहर होने के छोड़ दिया गया, गैरकानूनी सभा के अन्य सदस्यों को अभियुक्त 1 और 2 के कृत्यों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि लड़कियों की हत्या सभा के सामान्य उद्देश्य का हिस्सा नहीं था। जब अ.सा.6 अपने दो उत्पीड़कों की पहुंच से बाहर हो गया, तो उसे मारने का सामान्य उद्देश्य विफल हो गया और इसके बाद अलग-अलग सदस्यों ने जो कुछ भी किया, उसे सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में नहीं कहा जा सकता। धारा 149 को लागू करने में विधायिका का इरादा यह नहीं है कि वह गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को उसके एक या अधिक सदस्यों द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए सजा के लिए उत्तरदायी बनाए। धारा 149 को लागू करने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि अपराधकारी कार्य गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। भले ही सामान्य उद्देश्य के लिए कोई आनुषंगिक कार्य गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह अन्य सदस्यों को ज्ञात होना चाहिए क्योंकि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में ऐसा किए जाने की संभावना है। यदि सभा के सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किसी विशेष अपराध के किए जाने की संभावना के बारे में जानते थे तो वे भा. द. वि. की धारा 149 के तहत इसके लिए उत्तरदायी होंगे। तत्काल मामले में, हालाँकि, गैरकानूनी सभा का गठनकरने वाले सदस्य अ.सा.6

को मारने उसके घर गये थे। यह गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य था। उस सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन दो लड़कियों को मारना आवश्यक नहीं था जो अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आरोपी 1 और 2 के लिए बाधा नहीं थीं। इसलिए, हमारी राय है कि आरोपी 3 से 6 को भा. द. वि. धारा 149 के तहत आरोपी 1 और 2 द्वारा दो नाबालिग लड़कियों को लगी चोटों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, हम भा. द. वि. की धारा 326/149 के तहत दोषसिद्धि और उस मामले में आरोपी 3 से 6 को दी गई सजा को भी अपास्त करते हैं....”

इसके अलावा, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही से यह स्पष्ट है कि उनमें से किसी ने भी बरी किए गए अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से किसी विशेष प्रत्यक्ष कार्य का आरोप नहीं लगाया, और न ही उन्होंने यह निर्दिष्ट किया कि कौन से अभियुक्त व्यक्तियों के पास कौन से हथियार थे, सिवाय अ.सा. 5 द्वारा दिए गए बयान के, जो मुकदमे के दौरान पहली बार गवाही देते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, अ.सा. 7, जो एक घायल गवाह था, ने अपने साक्ष्य में ऐसे हथियारों के उपयोग के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। इसके अतिरिक्त, न तो शवपरीक्षा रिपोर्ट और न ही अ.सा. की चोट रिपोर्ट ने किसी भी चोट का संकेत दिया जो धारदार काटने या कठोर और कुंद हथियारों के कारण हुई थी जो उन्होंने कथित रूप से इस्तेमाल किए थे। यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि बरी किए गए अभियुक्त व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से काम किया या एक सामान्य उद्देश्य का पीछा किया।

इस प्रकार, इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आलोक में और ऊपर चर्चा की गई स्थापित कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि बरी किए गए अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक की मृत्यु और अ.सा. 7 की मृत्यु का प्रयास करने में एक 'सामान्य उद्देश्य' साझा किया है।

तदनुसार, इस मुद्दे का निर्णय नकारात्मक रूप से किया जाता है।

22. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी दृढ़ राय है कि उत्तरदाता सं.2 से 10 के संबंध में दिनांक 24.01.2019 के आदेश द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के फैसले में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

23. इसलिए, 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.313 को तदनुसार अपास्त कर दिया जाता है।

(सुधीर सिंह, न्यायमूर्ति)

(चंद्र प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

नरेंद्र/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।